कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, संत कबीर नगर, उ० प्र०, भारत।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 03/22 , दिनांक- 12-01-2022

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 2423/LXXXVI-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 09-01-2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संत कबीर नगर के पत्रांक संख्या कोविड-19/धनात्मक/सूचना/2021-22/10755 की रिपोर्ट व जिलाधिकारी संत कबीर नगर के पत्रांक संख्या मेमो/कोविड-19/2021-22/ICCC, दिनांक 12-01-2022 के अनुसार कुटुम्ब न्यायालय, संत कबीर नगर में कुल छः न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 धनात्मक पाये गये हैं। कुटुम्ब न्यायालय, संत कबीर नगर के पचास मीटर परिक्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र में व्यक्तियों का आगमन पूर्णतः तीन दिन तक प्रतिबंधित रहेगा।

अतः परिसर विसंक्रमित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशासनिक आदेश संख्या 03/22, दिनांकित 12-01-2022 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय, संत कबीर नगर को दिनांक 13-01-2022 से दिनांक 15-01-2022 तक बंद किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

उक्त आदेश के अनुक्रम में कुटुम्ब न्यायालय, संत कबीर नगर में दिनांक 13-01-2022 व 14-01-2022 में नियत समस्त सिविल/फौजदारी वादों में अग्रिम तिथि क्रमशः दिनांक 11-02-2022 व 14-02-2022 नियत की जाती है।

तदनुसार सभी संबंधित सूचित हो।

दिनांक- 12-01-2022

(राजेश कुमार- पंचम)
प्रभारी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय,
संत कबीर नगर।

पत्रांक - 7 (vii)/I दिनांक - 12.1.22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही व सूचनार्थ प्रेषित-

1. महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, संत कबीर नगर।
3. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
4. पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, संत कबीर नगर।
6. जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर को समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड तथा सी०आई०एस० साफ्टवेयर पर अग्रिम तिथि अपडेट हेतु।
8. नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संत कबीर नगर।
9. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

12.01.22

प्रभारी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय,
संत कबीर नगर।